

मांग संख्या 80  
मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 1**

सुखद सहारा योजना अंतर्गत पेंशन प्रदाय किये जाने हेतु राशि ₹2,398.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 23,98,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना अंतर्गत पेंशन प्रदाय किये जाने हेतु राशि ₹23,841.20 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,38,41,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

मुख्यमंत्री पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन प्रदाय किये जाने हेतु राशि ₹2,000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्यशीर्ष 2515**

**मद क्रमांक 4**

सचिवीय व्यवस्था अंतर्गत पंचायत सचिवों के वेतन भत्ते आदि हेतु ₹12,000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।